प्रत्नकीर्तिमपावृणु

Government of India
Archaeological Survey of India, Bhopal Circle, Bhopal

Issued in Public Interest

Government of India has issued Gazette Notification No. 13, dated March 30, 2010 on The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment &Validation) Act.2010 after the Parliament of India passed it. This Act amends 'The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, (both the Acts are available at www.asi.nic.in)

The purpose of this Act is to preserve and protect our heritage, and it reflects the government's determination to ensure that no construction including public projects takes place within the prohibited areas around the monuments of national importance.

The Act specifies the beginning from the boundary limit of the centrally protected area of centrally protected monument, a minimum of 100 metres as the prohibited area, These limits can be further extended having regard to classification of any monument or protected area.

No construction, whatsoever including any public project, will be permitted in the prohibited areas of the protected monuments and the permission for construction or reconstruction activities in regulated areas shall be governed by heritage bye- laws.

The Amendment Act defines construction and reconstruction to avoid any ambiguity in interpretation. The Act also defines the terms repair and renovation which means alterations to a pre-existing structure or building but shall not include construction or reconstruction.

Applications seeking permissions for repair and renovation in the prohibited areas and regulated areas shall be made before the Competent Authorities who will be nominated by the government in due course. For construction or reconstruction only in the regulated areas (i.e. not in the prohibited area) the request could also be made to the same authority. In this context the Act also provides for constitution of National Monument Authority which will consider all the cases referred to it by the Competent Authority for its final recommendation to finally dispose off such requests accordingly.

The construction activities shall remain frozen till the competent Authorities are specified, National Monuments Authorities constituted and heritage bye laws framed.

The legislation provides for identification of all unauthorized structures that may have come up in the prohibited and regulated areas since June, 1992 (when the notification of prohibited / regulated areas was published) and action will be taken against all such unauthorized structures or buildings, as per provisions of the Act.

Superintending Archaeologist,
Archaeological Survey of India,
Bhopal Circle, Bhopal
GTB Complex, T.T. Nagar, Bhopal

प्रत्नकीर्तिमपावृणु

भारत सरकार
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मण्डल, भोपाल

जन हित में जारी सूचना

एतद् द्वारा जन सामान्य को अवगत कराना है कि भारत की संसद से पारित होने के पश्चात भारत सरकार द्वारा प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम 2010 30 मार्च 2010 को अपने राजपत्र अधिसूचना संख्या 13 द्वारा जारी किया गया है। यह अधिनियम प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 का संशोधित रूप है। यह दोनों अधिनियम बेबसाईट www.asi.nic.in पर उपलब्ध हैं। इस नवीन अधिनियम का उद्देश्य हमारी विरासत को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना है तथा यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण चाहे वह लोक परियोजना ही क्यो न हो न होने देने के सरकार के दृढ़ निश्चय को प्रदर्शित करता है। इस अधिनियम के द्वारा किसी भी केन्द्रीय संरक्षित स्थल अथवा स्मारक की सीमा से चतुर्दिक न्यूनतम 100 मीटर के क्षेत्र को प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रतिषिद्ध क्षेत्र के परे चतुर्दिक न्यूनतम 200 मीटर के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र माना गया है। जिन्हें किसी स्मारक अथवा संरक्षित स्थल के वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में और बढ़ाया जा सकता है।

केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर लोक परियोजना सहित किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं होगी तथा विनियमित क्षेत्र में निर्माण एवं पुनर्निर्माण गतिविधियों की अनुमति विरासत उपविधियों के (bye laws) अधीन नियंत्रित होगी।

संशोधित अधिनियम द्वारा निर्माण एवं पुनर्निर्माण को भलीभांति परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम परिवर्तन लेकिन इसमें निर्माण एवं पुनर्निर्माण सम्मिलित नहीं होगा। प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों में केवल मरम्मत एवं नवीकरण की अनुमति हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष किये जायेंगे जिनको नागित करने हेतु अलग से अधिसूचना जारी की जायेगी। विनियमित क्षेत्र (प्रतिषिद्ध क्षेत्र में नहीं) में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण हेतु आवेदन भी इन्हीं अधिकारियों के समक्ष किया जा सकेगा। इस सन्दर्भ में एक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान किया गया है जो तत्सम्बन्धी सभी प्रकरणों पर सक्षम प्राधिकारी को अंतिम रूप से निष्पादनार्थ अनुशंसित करेगा।

समस्त प्रकार की निर्माण गतिविधियाँ तब तक बन्द रहेंगी जब तक सक्षम प्राधिकारी एवं राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का गठन नहीं हो जाता एवं विरासत उपविधियों की संरचना नहीं हो जाती। इस अधिनियम द्वारा जून 1992 से प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों में निर्मित सभी अनाधिकृत संरचनाओं (भवनों) को चिन्हित करने तथा इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया है।

तदनुरुप केन्द्रीय संरिक्षत स्मारकों के प्रतिषिद्ध / विनियमित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध सजा की मात्रा की समीक्षा करके उसे और सख्त बनाया गया है तथा तीन माह के कैद को बढ़ाकर 02 वर्ष और रूपये 50 हजार जुर्माने को बढ़ा कर 1 लाख कर दिया गया है।

अतः अपनी बहुमूल्य धरोहर की सुरक्षा हेतु अपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यवयन में प्रत्येक नागरिक का सक्रिय सहयोग प्रार्थनीय है।

अधीक्षण पुरातत्वविद्
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
जी.टी.बी. काम्पलेक्स, टी.टी. नगर भोपाल